निर्देश सं - 67

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वाँ तल , जवाहर व्यापार भवन (एस. टी. सी. भवन)

टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 110001

एफ सं ए – 110018/01/2021-सीएक्यूएम-9079 **दिनांक : 12.09.2022**

विषय: 2022 में पराली जलाने की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अद्यतन / संशोधित कार्य योजना का कार्यान्वयन एवं समीक्षा|

(1) जबकि, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है | (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)|

(2) जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करे जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझे|

(3) जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (xi) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति , अधिकारी या किसी प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में आदेश जारी करना और वे ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे|

(4) जबकि, एन सी आर में धान का पराली जलाना वायु गुणवत्ता के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उ. प्र. , राजस्थान, जीएनसीटीडी, एनसीआर राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित, पंजाब और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ), जैसे ज्ञान संस्थान, गैर सरकारी संगठन और नागरिक समाज समूह आदि के साथ बैठकों की एक श्रृंखला में प्रमुख संबंधित हितधारकों के साथ विचार- विमर्श किया|

(5) जबकि, आयोग ने दिनांक 10.06.2021 के निर्देशों के माध्यम से सम्बंधित राज्यों को फसल अपशिष्ट जलाने पर नियंत्रण / कम करने के लिए एक संरचना प्रदान की और राज्य –विशिष्ठ कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए|

(6) जबकि, आयोग द्वारा दिनांक 28.07.2021 को पराली जलाने के समस्या हल करने हेतु , एक्स-सिटू पराली प्रबंधन के लिए पंजाब, हरियाणा, उ. प्र. सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई|

(7) जबकि, आयोग ने दिनांक 16.8.2021 के निर्देश द्वारा एनसीआर राज्यों की सरकारों, एन सी टी दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार को परामर्श दिया कि वे आई एस आर ओ द्वारा विकसित मानक प्रोटोकाल अपनाये जिससे उपग्रह डाटा का प्रयोग करके आग लगने की घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग की जा सके|

(8) जबकि, पंजाब, हरियाणा, उ. प्र. , राजस्थान सरकारों और एनसीटी-दिल्ली सरकार ने 2021 के दौरान धान की फसल के मौसम में धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण करने हेतु राज्य विशेष कार्ययोजना बनाई थी|

(9) जबकि, एनसीआर राज्य सरकारों एवं जीएनसीटीडी द्वारा इस विषय में कार्य योजनाएं लागू की गई लेकिन परिणाम अपेक्षित स्तर के नही थे और 2020 की तुलना में 2021 में धान के खेतों में आग लगने की घटनाओं में मामूली कमी देखी गई| वस्तुत: हरियाणा में आग लगने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई|

(10) जबकि, 2021 के दौरान व्यावहारिक अनुभव एवं सीख के आधार पर और धान की भूसी का विभिन्न औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोग के तौर पर एक्स-सिटू उपयोग बढाने से सम्बंधित कार्ययोजनाओं में संशोधन किया गया और आनेवाली 2022 की धान की फसल के लिए अद्यतन किया गया|

(11) जबकि, इस उद्देश्य से आयोग की दिनांक 05.08.2022 को आयोजित बैठक के दौरान पंजाब, हरियाणा और उ.प्र. के एनसीआर जिलों के लिए संबंधित अद्यतन / संशोधित कार्ययोजना पर प्रस्तुति दी गई|

(12) जबकि, 05 सितम्बर, 2022 को आयोग की पूर्ण बैठक में उपर्युक्त अद्यतन कार्य योजना की विशेषताएं आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई, और आयोग ने इसे नोट किया और सांविधिक निर्देश जारी करने का अनुमोदन किया|

(13) अब, इसलिए, उपरोक्त स्थिति और धान की भूसी के जलाने से वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, आयोग, एतदद्वारा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को आदेश देता है कि :-

(i) पराली जलाने को नियंत्रित और समाप्त करने के लिए संरचना और संशोधित कार्य योजना कड़ाई और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए|

(ii) संरचना (फ्रेमवर्क) / राज्य विशेष , कार्ययोजना, योजना में दिए गये विभिन्न स्तरों पर बार-बार समीक्षा और नजदीकी निगरानी की जाए|

(14) राजस्थान सरकार और जीएनसीटीडी आगामी फसल के मौसम में किसी भी धान की पराली जलाने की घटनाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी|

(15) उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में की गई, कार्रवाई रिपोट आयोग को 15 सितम्बर, 2022 से साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी|

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य-सचिव
दूरभाष न०: 011-23701197
011-23446811
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

प्रतिलिपि :

1)मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, छठी मंजिल, पंजाब, सिविल सचिवालय-1, सेक्टर-1, चंडीगढ़-160001
2)मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौथी मंजिल , सिविल सचिवालय, सेक्टर – 1, चंडीगढ़-160001
3)मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ,101 लोक भवन , सिविल सचिवालय, विधान सभा मार्ग, लखनऊ – 226001
4)मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार , दिल्ली सचिवालय , आई . पी. एस्टेट, नई दिल्ली
5)मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार , राजकीय सचिवालय, जयपुर-302005

प्रतिलिपि:

1. सदस्य सचिव, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
2. सदस्य सचिव , हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रतिलिपि :

अध्यक्ष और सभी सदस्य , सीएक्यूएम.